संख्या-622/2017/1158/22-2-2017-17(37)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील पुत्र श्री होराम सिंह निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील पुत्र श्री होराम सिंह, निवासी-बल्लूखेडा, थाना-दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगरका रहने वाला है। बन्दी का विवाह घटना से लगभग 06:00 माह पूर्व हरकेश की बहन केशवती के साथ हुआ था। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 12/13.11.1995 की रात्रि लगभग 12:00 बजे रस्सी से गला दबाकर अपनी पत्नी केशवती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-123/1996 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(आ0व0अधि0), बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.01.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2017 तक 21 वर्ष 02 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रस्सी से गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दी सुनील पुत्र श्री होराम सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुनील (बन्दी संख्या-5101) पुत्र श्री होराम सिंह जनपद-गौतमबुद्धनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-622/2017/1158(1)/22-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।